आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 396 / 2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

सम्मान फिनसर्व लिमिटेड(पूर्व मे इण्डियाबुल्स कॉमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय– पंचम तल, बिल्डिंग नं. 27, केजी मार्ग, कनाट प्लेस, न्यू देहली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सुमेर प्रकाश खण्डाका प्रोपराईटर खण्डाका डायमण्ड कुन्दन मीना ज्वैलर्स,
   पता:– 171, हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।
2. श्री सुमेर प्रकाश खण्डाका,
   पता:– प्लॉट नं. ए–22, खण्डाका हाऊस, चौमूं पुलिया, अम्बाबाड़ी, विद्याधर नगर, जयपुर।
   अन्य पता:– म्यूनिसपल हाऊस नं. 2543, ग्राउण्ड फ्लोर, घी वालों का रास्ता, चौकड़ी घाट गेट, जयपुर।
   अन्य पता:– प्लॉट नं. 8, पार्क हाऊस, पार्क हाऊस स्कीम के सामने, खासा कोठी रोड़, मोती लाल अटल रोड़, जयपुर।
3. श्री पदम प्रकाश खण्डाका एचयूएफ,
   पता:– डी–192, जगदीश मार्ग, बनीपार्क, शास्त्री नगर, जयपुर।
   अन्य पता:– प्लॉट नं. ए–22, खण्डाका हाऊस, चौमूं पुलिया, अम्बाबाड़ी, विद्याधर नगर, जयपुर।
   अन्य पता:– म्यूनिसपल हाऊस नं. 2543, ग्राउण्ड फ्लोर, घी वालों का रास्ता, चौकड़ी घाट गेट, जयपुर।
   अन्य पता:– प्लॉट नं. 8, पार्क हाऊस, पार्क हाऊस स्कीम के सामने, खासा कोठी रोड़, मोती लाल अटल रोड़, जयपुर।
4. श्री पदम प्रकाश जैन प्रोपराईटर श्री जय लक्ष्मी एसी पाईप इंडस्ट्रीज,
   पता:– बी–140, रोड़ नं. 9, वीकेआई रोड़, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर।
   अन्य पता:– डी–192, जगदीश मार्ग, बनीपार्क, शास्त्री नगर, जयपुर।
   अन्य पता:– म्यूनिसपल हाऊस नं. 2543, ग्राउण्ड फ्लोर, घी वालों का रास्ता, चौकड़ी घाट गेट, जयपुर।
   अन्य पता:– प्लॉट नं. 8, पार्क हाऊस, पार्क हाऊस स्कीम के सामने, खासा कोठी रोड़, मोती लाल अटल रोड़, जयपुर।
5. कृष्णा खण्डाका उर्फ कृष्णा अग्रवाल,
   पता:– प्लॉट नं. ए–22, खण्डाका हाऊस, चौमूं पुलिया, अम्बाबाड़ी, विद्याधर नगर, जयपुर।
   अन्य पता:– म्यूनिसपल हाऊस नं. 2543, ग्राउण्ड फ्लोर, घी वालों का रास्ता, चौकड़ी घाट गेट, जयपुर।
   अन्य पता:– प्लॉट नं. 8, पार्क हाऊस, पार्क हाऊस स्कीम के सामने, खासा कोठी रोड़, मोती लाल अटल रोड़, जयपुर।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अन्य पता:— कृष्णा खण्डाका उर्फ कृष्णा अग्रवाल प्रोपराईटर के.पी.पी. ज्वैलर्स, 217, जौहरी बाजार, जयपुर।

6. श्री पीयूष खण्डाका,

पता:— प्लॉट नं. ए-22, खण्डाका हाऊस, चौमूं पुलिया, अम्बाबाड़ी, विद्याधर नगर, जयपुर।

अन्य पता:— म्यूनिसपल हाऊस नं. 2543, ग्राउण्ड फ्लोर, घी वालों का रास्ता, चौकड़ी घाट गेट, जयपुर।

अन्य पता:— प्लॉट नं. 8, पार्क हाऊस, पार्क हाऊस स्कीम के सामने, खासा कोठी रोड़, मोती लाल अटल रोड़, जयपुर।

अन्य पता:— पीयूष खण्डाका प्रोपराईटर पीयूष ज्वैल्स, 67, जौहरी बाजार, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित:—

1. श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री आर. के. भार्गव, अधिवक्ता केवियटकर्त्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

आदेश — दिनांक 24.07.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.01.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी पीयूष ज्वैल्स जरिये प्रोपराईटर श्री पीयूष खण्डाका एवं खण्डाका डायमण्ड कुन्दन मीना ज्वैलर्स जरिये प्रोपराईटर श्री सुमेर प्रकाश खण्डाका एवं खण्डाका के.पी.पी. जैन ज्वैलर्स जरिये प्रोपराईटर श्रीमती कृष्णा खण्डाका के संयुक्त स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. 8, खासा कोठी (एम आई रोड़) गणपति प्लाजा के सामने, मोती लाल अटल रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 661.11 वर्गगज को बंधक रखकर कुल राशि 10,03,08,890/—रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.06.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। केवियटकर्त्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री आर. के. भार्गव उपस्थित है। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 10,03,08,890/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक/हाईपोथिकेशन के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 10,98,45,974.15/-रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 07.06.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को जवाब दिया गया, जिसका निस्तारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा कर दिया गया है, तत्पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

5. अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निस्तारण का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

6. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी पीयूष ज्वैल्स जरिये प्रोपराईटर श्री पीयूष खण्डाका एवं खण्डाका डायमण्ड कुन्दन मीना ज्वैलर्स जरिये प्रोपराईटर श्री सुमेर प्रकाश खण्डाका एवं खण्डाका के.पी.पी. जैन ज्वैलर्स जरिये प्रोपराईटर श्रीमती कृष्णा खण्डाका के संयुक्त स्वामित्व की बंधक संपति प्लॉट नं. 8, खासा कोठी (एम आई रोड़) गणपति प्लाजा के सामने, मोती लाल अटल रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 661.11 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा माननीय ऋण वसूली अधिकरण के आदेश दिनांक 07.10.2024 के अध्यधीन प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर